

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ 2014 / अलेसे-III /

24-55

दिनांक: 23-4-15

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(1)वित्त/राजस्व/2015 दिनांक 17.04.2015 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है:-

क्र.सं	नाम लेखाकर्मियों	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
1	2	3	4

सहायक लेखाधिकारी-1

1	इन्द्र मल जैन	25-12-14 to 17-04-15	अधीक्षण अभियंता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, वृत्त-टोंक जिला टोंक
2	नन्द लाल व्यास	08-02-15 to 17-04-15	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
3	सीता राम बागोटिया	13-02-15 to 17-04-15	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, सवाईमाधोपुर
4	हंसराज गुप्ता	03-03-15 to 17-04-15	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
5	कालू राम ज्योतिषी	01-03-15 to 17-04-15	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर
6	जगदीश खत्री	26-03-15 to 17-04-15	पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर

सहायक लेखाधिकारी-1A

1	जय प्रकाश दरक	31-12-14 to 17-04-15	कोषालय (ग्रामीण) उदयपुर
2	महावीर प्रसाद	02-02-15 to 17-04-15	ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नोहर (हनुमानगढ़)
3	सुरेन्द्र कुमार दायमा	02-02-15 to 17-04-15	सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, नोहर(हनुमानगढ़)
4	संजय झाझडिया	26-02-15 to 17-04-15	विषय विशेषज्ञ, उद्यान, दुर्गापुरा (जयपुर)

क0लेखाकार

1	विजय कुमार गुप्ता	02-01-15 to 17-04-15	कोषालय, सवाईमाधोपुर
2	धनश्याम शर्मा	27-02-15 to 17-04-15	निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
3	राजेश सैनी	18-03-15 to 21-04-15	निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

दिनांक: 23-4-15

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ-2014 / अलेसे-III / 24-55

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें। (वेबसाइट से)
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन-लेखा अनुभाग) को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
- ए.सी.पी(उपनिदेशक(आईटी) वित्त भवन, कार्यालय हाजा जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- सहायक निदेशक, अलेसे-1 / अलेसे-II / अलेसे-III मय अतिरिक्त प्रतियों निजी पत्रावली हेतु
- श्री- सहायक लेखाधिकारी-1/II / क0लेखाकार कार्यालय- को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
- य0 निजी सहायक, निदेशक
- निजी पत्रावली

(कजोड मल मीणा)